

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 12)

संस्थान में छुट्टी रखने के दिन का नोटिस या उसमें
किसी परिवर्तन का नोटिस

सेवा में,

निरीक्षक,

दुकान तथा वाणिज्य संस्थान

(स्थान का नाम)

संस्थान का नाम

पता मय दुकान नम्बर

(राजस्थान)

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नम्बर

र. नं.

प.नं.

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि दिनांक

संस्थान की अपने संस्थान की छुट्टी रखेगा

हस्ताक्षर

निरीक्षक राजस्थान दुकान एवं

वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 के अधीन

(नियोजक के हस्ताक्षर)

दिनांक

दिनांक

यह प्रपत्र छुट्टी के दिन से परिवर्तन किये जाने की सूचना देने की दशा में प्रयुक्त किया जावेगा। 15 अक्टूबर से 15 मार्च सुबह 9.30 बजे से 7.30 बजे सायं, 16 मार्च से 14 अक्टूबर सुबह 9.30 बजे से 8 बजे सायं

- इस फार्म को दुकान एवं वाणिज्य संस्थान में सामने दिखता हुआ टांकना आवश्यक है।
- दुकान एवं वाणिज्य संस्थान का अवकाश 6 माह बाद ही तब्दील कराया जा सकता है।
- दुकान एवं वाणिज्य संस्थान बन्द कर देने की इत्तला 10 दिन में दफतर को देना जरूरी है।